राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़

कार्यालय -शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय भवन, रायपुर (छ.ग.) 492010

फोन नं 0771-2263165 वेबसाईट–www.schcg.in ई-मेल registrar@schcg.in

क्रमांक / रा.हो.प. / सूचना / 2022 / 230 रायपुर, दिनांक –18/11/2022

–:: सूचना ::–

यह संज्ञान में आया है कि राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर में पंजीकृत कतिपय निजी होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पॉम्पलेट अथवा सार्वजनिक स्थानों पर अपनी विशेषज्ञता एवं विभिन्न रोगों के शर्तिया उपचार के संबंध में भ्रामक तथा अतिश्योक्तिपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करवाया जा रहा है अथवा होर्डिंग इत्यादि लगवाया जा रहा है।

चिकित्सा व्यवसायियों का यह आचरण छत्तीसगढ़ होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में अंर्तनिहीत प्रावधानों के विपरीत है तथा यह व्यावसायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अपनी उपाधि विशेषज्ञता अथवा बीमारी के उपचार के बारे में भ्रामक जानकारी अथवा अतिश्योक्तिपूर्ण प्रचार करते पाया गया तो परिषद् द्वारा संबंधित चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सर्वसंबंधित एतद्र्थ पालनार्थ सूचित होवें।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
राज्य होमियोपैथी परिषद् छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

***